IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 6.252
Volume 2, Issue 2, February 2022

भारत में स्त्रियों की दषा एवं उसमें सुधार

डॉ राधिका देवी
एसो. प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान
ए. के. पी. (पी. जी.) कॉलिज, खुर्जा, जिला. बुलन्दषहर (उ. प्र.)

मनुस्मृति के अनुसार भारतीय समाज में यह मान्यता रही है कि–''जहाँ नारी को पूज्य माना जाता है, वहाँ देवताओं का निवास होता है और जहाँ उसे पूज्य नहीं माना जाता, वहाँ सत्र कार्य निष्फल होते हैं,'' परन्तु इसके होते हुए भी भारत में नारी की स्थिति वैसी नहीं है, जैसी होनी चाहिए भारतीय समाज में नारी की स्थिति की विवेचना इन शीर्षकों में किया जा सकता है।

(1) पुरूष की अपेक्षा परिवार में स्त्री को कम महत्व–भारत में परिवार का रूप पितृ सत्तात्मक है, जिसमें परिवार में पुरूष (पिता) की चलती है तथा स्त्री (माता) को हर बात के लिए उसके अधीन रहना पड़ता है।

(2) सामाजिक दृष्टि से स्त्री पर पुरूष का संरक्षण–भारतीय समाज में स्त्री जाति को सदा पुरूष के संरक्षण में ही रहना पड़ता है, यह कहा जाता है कि विवाह से पूर्व उसे अपने पिता के संरक्षण में, विवाह के बाद उसे अपने पति के संरक्षण में तथा वृद्धावस्था में उसे अपने पुत्र के संरक्षण में रहना पड़ता है, इससे उसमें स्वावलम्बन व आत्मसम्मान की भावना कभी भी उत्पन्न नहीं हो पाती।

(3) आर्थिक दृष्टि से पुरूष पर स्त्री की निर्भरता–भारत का सामाजिक ढांचा कुढ ऐसा है कि अधिकांश पत्नियाँ अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने पति पर ही निर्भर रहती हैं, प्रायः पति कमाते हैं और पत्नियाँ उनकी कमाई से अपने सहित पूरे घर का खर्च चलाती हैं स्वतंत्रता के बाद से स्थिति में कुछ अन्तर आया हैं, अनेक क्षेत्रों में स्त्रियाँ भी कमाने लगी हैं पर कमाने वाली स्त्रियों का प्रतिशत स्त्रियों की पूरी जनसंख्या पर नगण्य है, इस प्रकार के उदाहरण कम हैं, जिनमें पत्नी कमाती हो और पति जीवनयापन हेतु पत्नी पर निर्भर हो, प्रायः स्त्रियाँ ही आर्थिक दृष्टि से पुरूषों पर निर्भर होती हैं।

(4) घर की चार–दीवारी में रहने के कारण दृष्टिकोण का संकुचन–भारतीय समाज की यह मान्यता है कि स्त्रियों का उचित स्थान घर है और उसका मुख्य कर्त्तव्य गृहिणी धर्म का पालन है, इस मान्यता का परिणाम यह हुआ कि स्त्रियाँ स्वयं भी घर की चार दीवारी से बाहर नहीं निकलना चाहतीं, इससे उनका दृष्टिकोण संकुचित हो जाता है।

(5) घर से बाहर कार्यरत् स्त्रियों के प्रति समाज का आक्रामक रूख–जो स्त्रियाँ परिस्थितिवश अथवा स्वेच्छा से साहस, करके घर की चार–दीवारी से बाहर निकलकर कुछ करना चाहती हैं, उन्हें लोग सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते और उनके चरित्र पर अनावश्यक रूप से शंका तक करते हैं, खेतों, खलिहानों, कारखानों आदि में काल करने वाली स्त्रियों को तो लोग हेय दृष्टि से देखते हैं तथा उनके प्रति समाज का रूख भी आक्रामक होता है।

(6) शिक्षा के क्षेत्र में स्त्रियों की उपेक्षा–भारतीय समाज में शिक्षा के क्षेत्र में भी स्त्रियों की उपेक्षा सदा से होती आई हैं, बहुत समय तक यह बात मानी जाती रही है कि स्त्री घर की दासी होती हैं, उसे शिक्षा प्राप्ति का अधिकार नहीं है, आधुनिक भारत में शिक्षा के सम्बन्ध में ऐसी मान्यताओं में फर्क आया हैं, स्त्रियाँ भी शिक्षित होने लगी हैं, तथापि.....अब भी अधिकांश स्त्रियाँ अशिक्षित ही नहीं, निरक्षर तक हैं।

(7) पर्दा प्रथा–स्त्रियें की कूप मण्डूक प्रवृत्ति–भारतीय समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन पूर्व काल से ही बना हुआ हैं, वर्तमान समय में अन्तर अवश्य आया है, पर यह अन्तर कुछ क्षेत्रों तथा कुछ स्त्रियों तक ही सीमित हैं, बहुत समय तक पर्दा–प्रथा का रूप भारतीय समाज में इतना कठोर रहा है कि एक समय विवाह के बाद महिला के घर में आने के बाद वह अर्थी के रूप में

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 6.252
Volume 2, Issue 2, February 2022

ही घर से बाहर निकलती थीं, मुस्लिम समाज में तो पर्दा हेतु बुरके का प्रयोग किया जाता रहा हैं, इसका अनिवार्य परिणाम यह रहा कि महिलाएँ, रूढ़ियों, परम्पराओं व सकीर्णताओं की जंजीरों से बेंचकर कूप मण्डूकता की शिकार होती रही हैं।

(8) बाल–विवाह, बहु–विवाह, तथा तलाक–प्रथा–भारतीय समाज के अनेक वर्गों में बाल–विवाह प्रचलित रहा है इसका कुप्रभाव स्त्रियों के स्वास्थ्य पर पड़ता है, क्योंकि छोटी उम्र में ही वे माँ बन जाती हं और उस उनका स्वास्थ्य सहन नहीं कर पाता, अनेक वर्गों में बहु–विवाह भी प्रचलित हैं, मुसलमानों में तो पुरूष द्वारा चार विवाह तक करना उनके धर्म (शरियत)के अनुकूल माना जाता है, इस प्रथा के कारण समाज में स्त्री की स्थिति दासियों जैसी हो जाती हैं, पुरूष मनमानी संख्या में स्त्रियों से विवाह कर उन्हें अपनी दासी के रूप में रख सकता है तथा पुरूष पर स्त्रियों की आर्थिक निर्भरता पुरूषों के लिए ऐसा करना बड़ा सरल बना देती है, कुछ जातियों में स्त्रियों को आसानी से अथवा अकारण छोड़ देने की प्रथा प्रचलित हैं, मुसलमानों में तो पुरूष द्वारा केवल तीन बार 'तलाक', 'तलाक' 'तलाक' कहने भर से स्त्री का तलाक हो जाता था, अब सर्वोच्च न्यायालय ने तीन–तलाक को अवैध घोषित कर दिया, अब विधि के अनुसार 'तीन तलाक' अपराध है और इसके लिए 3 वर्ष की सजा होगी।

(9) वेश्यावृत्ति व स्त्री, क्रय–विक्रय की प्रथा के कारण नारकीय जीवन–भारतीय समाज में स्त्रियों की खरीद व उनकी विक्रय प्रथा प्राचीन समय से आज तक चलती रही हैं, इसके कारण स्त्रियों को उसकी प्रकार खरीदा व बेचा जाता रहा हैं, जिस प्रकार लोग अपनी अन्य सम्पत्ति को खरीदते व बेचते हैं, स्वतंत्रता के बाद किए गए प्रयत्नों के बावजूद भी देश के अनेक भागों में स्त्रियों का अनैतिक व्यापार अब भी बड़े पैमाने पर चलता है तथा बिकी हुई स्त्रियों से चकलाघरों में वैश्यावृत्ति कराई जाती है और इस कारण उन्हें नारकीय जीवन बिताना पड़ता है।

(10) दहेज प्रथा व स्त्रियों के जीवन पर उनका कुप्रभाव–दहेज प्रथा भारतीय समाज में स्त्रियों के लिए एक अभिशाप के रूप में रही हैं, विवाह के समय कन्या के अभिभावक उपहार–स्वरूप कुछ धन वस्तु आदि वर पक्ष को देते हैं पहले ऐसा कन्या पक्ष खुशी से स्वेच्छावश करता था, पर अब दहेज, दहेज न रहकर वर मूल्य हो गया है और अब वास्तव में दूल्हा बिकता है और जो लड़की वाला वर पक्ष की इच्छा के अनुसार दहेज नहीं दे पाता, उसकी लड़की के लिए अच्छा वर नहीं मिल पाता, दहेज प्रथा के कठोर प्रचलन के निम्नांकित दुष्परिणाम सामने आते हैं:–

(i) जिन लड़कियों के विवाह वांछित से कम दहेज के साथ कर दिए जाते हैं, उन्हें ससुराल में अनेक यातनाएँ–भुगतनी पड़ती हैं, वे विवश होकर कभी–कभी आत्महत्या कर लेती हैं और अनेक बार ससुराल वाले उनकी हत्या तक कर देते हैं।

(ii) दहेज का विवाद कभी–कभी विवाह के अवसर पर भी उठाया जाता हैं, बारातें बिना विवाह के लौट जाती हैं, फलस्वरूप लड़कियाँ अपमानित होकर आत्महत्या तक कर लेती हैं।

(iii) पूरा दहेज न लाने के कारण लड़कियों को ससुराल में अपमानित जीवन व्यतीत करना पड़ता है और इससे पति–पत्नी के बीच तनाव रहता है।

(iv) जो लड़की वाले आवश्यक दहेज का प्रबन्ध नहीं कर पाते, उनकी लड़कियाँ या तो अयोग्य वर पाती हैं या कभी–कभी कुँवारी ही रह जाती हैं।

(v) दहेज प्रथा की इस स्थिति के कारण लड़की का जन्म समाज में बुरा माना जाता हैं, अतः लड़की के जन्म से ही माता–पिता चिन्तित होने लगते हैं और समझदार होने पर लड़कियाँ स्वयं भी हीन–भावना का शिकार होने लगती हैं।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 6.252
Volume 2, Issue 2, February 2022

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्त्रियों की दषा सुधारने के लिए किए गए प्रयत्न

- **स्त्री–पुरूष की समानता को प्रोत्साहन**–स्त्री पुरूष से किसी भी प्रकार हीन नहीं हैं, इस भावना को प्रोत्साहन के लिए लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेद–भाव संविधान द्वारा अमान्य कर दिया गया है अब स्त्रियाँ भी सभी क्षेत्रों में पुरूषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर चल सकती हैं, परिवार में उन्हें पति के समान स्थिति प्रदान करने के लिए हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 द्वारा पति के समान ही तलाक लेने का अधिकार प्राप्त हैं, समाज में स्त्री को पुरूष के समान बनाने के लिए उसे कानून का संरक्षण पुरूषों की ही तरह समान रूप से प्राप्त हैं, समाज मजदूरी अधिनियम 1976 के अनुसार स्त्रियों को पुरूषों के समान ही मजदूरी पाने का हक दिया गया है।
- **आर्थिक दृष्टि से स्त्री की आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन**–आर्थिक–दृष्टि से स्त्रियाँ पुरूषों पर निर्भर न रहें, इसके लिए स्त्रियों के लिए अनेक संक्षिप्त शिक्षा पाठ्यक्रम तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए हैं, जिनके अर्न्तगत स्त्रियों को प्राथमिक स्कूल, अध्यापिकाओं, बाल–सेविकाओं, परिचारिकाओं, स्वास्थय निरीक्षकों, दाइयाँ परिवार नियोजन कार्यकर्ताओं के रूप में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जरूरतमंद स्त्रियों को काम मिल सकें, इसके लिए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड सन् 1958 से ही एक सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम चला रहा हैं, उसी की ओर से महिला मण्डलों, व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा पुर्नवास केन्द्रों को सहायता दी जाती हैं, कुछ राज्यों में नारी विकास निगम हैं, जो महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, महिलाओं के लिए दस्तकारी प्रशिक्षण केन्द्र व महिला कर्मचारियों के लिए हॉस्टल आदि भी उनमें आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए ही चलाए जा रहे हैं।
- **स्त्रियों की षिक्षा की उचित व्यवस्था**–स्त्रियों की शिक्षा की उचित व्यवस्था, स्त्रियों के सब प्रकार के कल्याण में सहायक होती हैं, यह मानते हुए हमारे देश में लड़कियों के लिए अब उच्च स्तर तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। भारत के सभी राज्यों में लड़कियों को उच्च शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था है। सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त स्त्रियों के लिए रोजगारपरक शिक्षा की भी अनेक योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उच्च स्तर स्त्रियों के लिए शिक्षा के सभी क्षेत्रों में पुरूषों के समान ही उचित अवसर उपलब्ध हैं होम साईस व मेडिकल साइंस जैसे क्षेत्र उनके लिए विशेष रूप से उपयुक्त समझे

महिला कल्याण हेतु संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित उद्देश्य, जो सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करते हैं, जिसमें महिला अधिकारों के भाव व्याख्यास्वरूप स्पष्ट दिखाई देते हैं, इससे महिला सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण आधार भी तैयार होता हैं, भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में उसकी रूपरेखा निम्न प्रकार परिलक्षित होती हैं–

- **अनुच्छेद 14**– राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में विधि के समक्ष सम्मान अधिकार एवं अवसर।
- **अनुच्छेद 15**– लिंग के आधार पर भेदभाव वर्जित.....
- **अनुच्छेद 15(1)**– राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध लिंग के आधार पर विभेद नहीं करेगा।
- **अनुच्छेद 15(3)**– राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबन्ध करने का अधिकार।
- **अनुच्छेद 16**– लोक नियोजन में अवसर की समानता.....
- **अनुच्छेद 16(2)**– राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के सम्बन्ध में कोई भी नागरिक लिंग के आधार पर न तो अपात्र होगा, न ही उससे विभेद होगा।
- **अनुच्छेद 19**– विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- **अनुच्छेद 21**– प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता.
- **अनुच्छेद 23**– मानव व्यापार बलात् श्रम का प्रतिशेध.
- **अनुच्छेद 24–14** वर्ष से कम आयु के बालक/बालिका के नियोजन की मनाही
- **अनुच्छेद 39(क)**– महिला व पुरूष को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन मिले,

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 6.252
Volume 2, Issue 2, February 2022

जाने वाले शिक्षा क्षेत्रों में उनके लिए विशेष सुविाएें उपलब्ध हैं प्रौढ़ महिलाओं के लिए कार्यात्मक शिक्षा (साक्षरता) का कार्यक्रम 1975–76 से ही चलाया जा रहा हैं, जिसके अर्न्तगत स्वास्थ्य, स्वच्छता, खाद्य तथा पोषाहार, गृह–प्रबन्ध तथा बच्चों के पालन–पोषण की अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है।

- **सामाजिक जागृति द्वारा सामाजिक कुप्रथाओं का उद्धार**–पर्दा–प्रथा, बाल–विवाह, बहु–विवाह तथा तलाक–प्रथा, वैश्यावृत्ति व स्त्री क्रय–विक्रय प्रथा तथा दहेज–प्रथा, आदि वे प्रथाएँ हैं, जिनसे स्त्री समाज लगातार पीड़ित रहा है, इन प्रथाओं के प्रचलन को निरूत्साहित करने के लिए समाज में जागृति लाए जाने के अनेक प्रयत्न लिए जा रहे हैं, जिनमें सबसे प्रमुख स्त्रियों को शिक्षित करना है,जिससे वे इन रूढ़ियों की वास्तविकता व अवांछनीयता को समझ सके और स्वयं अपने को उनसे मुक्त कर सकें, इसके अतिरिक्त अनेक स्वयं सेवी संगठन इन प्रथाओं के प्रचलन के विरूद्ध सामाजिक जागृति उत्पन्न करने में कार्यरत् है। जिसका परिणाम भी दिखाई दे रहा है।
- **सरकारी प्रयास द्वारा कुप्रथाओं का निवारण**–कुप्रथाओं के प्रचलन को निरूत्साहित किए जाने के लिए सरकारी स्तर पर भी अनेक प्रयत्न किए जा रहे हैं, बाल–विवाह को निरूत्साहित करने के लिए विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा स्त्री को यह अधिकार दिया गया है नाबालिगी में की गई अपनी शादी को बालिग होने पर वह रद्द करा सकती हैं, बाल–विवाह (संशोधन) अधिनियम 1978 द्वारा विवाह हेतु लड़की/लड़के की आयु क्रमशः 18–21 वर्ष कर दी गई हैं, इसके विरूद्ध विवाह अमान्य व दण्डनीय हैं, बहु–विवाह को भी हिन्दू–विवाह अधिनियम द्वारा निषिद्ध कर दिया गया है, तलाक पर भी लोक सभा द्वारा विधेयक पारित किया जा चुका हैं, वैश्यावृत्ति व स्त्री क्रय–विक्रय पर रोक लगाए जाने के लिए अनैतिक स्त्री व्यापार अधिनियम लागू किया गया है, दहेज प्रथा के विरूद्ध भी अनेक उपाए किए गए हैं, देश के अनेक राज्यों में इसके विरूद्ध कानून किए गए हैं तथा दहेज लेने–देने को दण्डनीय अपराध घोषित कर दिया हैं, विधवा जीवन की कठिनाइयों से स्त्रियों के उद्धार के लिए पुनर्विवाहित स्त्री को भी पत्नी के रूप में पूरा कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है जो विधवा पुर्नर्विवाह नहीं कर पाती, उन्हें भी सरकार की ओर से पारिवारिक पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, आवास–सुविधा, आदि प्रदान की गई हैं, स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों ने समय–समय पर महिलाओं के समग्र विकास, कल्याण, शिक्षा एवं सुरक्षा के लिए अनेक योजनाओं का संचालन किया हैं और वर्तमान में किया जा रहा है जिससे महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है।

अनुच्छेद 39(घ)– पुरूष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो..
- **अनुच्छेद 39(ड़)**– पुरूष व स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का दुरूपयोग न हो आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर उन्हें ऐसे रोजगार में न जाना पड़े, जो उनकी आयु व शक्ति के प्रतिकूल हो।
- **अनुच्छेद 42**– राज्य काम की न्यायसंगत व मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता हेतु उपबंध करेगा।
- **अनुच्छेद 47**– पोषाहार और जीवन–स्तर को ऊँचा करने तथा लोक–स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य।
- **अनुच्छेद 51(क)–(ड़)– (मूल कर्त्तव्य)**– ऐसी प्रथा का त्याग, जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध हो।
- **अनुच्छेद 243(घ)–(3)** प्रत्येक पंचायत में एक तिहाई सीट स्त्रियों के लिए आरक्षित
- **अनुच्छेद 243(घ)–(4)** पंचायतों में अध्यक्ष पद हेतु एक–तिहाई सीट स्त्रियों का आरक्षित,
- **अनुच्छेद 243 (न)–(3)** नगरपालिका में एक–तिहाई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित
- **अनुच्छेद 243 (न)–(4)** नगरपालिका में अध्यक्ष पद हेतु एक–तिहाई आरक्षण महिलाओं के लिए
- **अनुच्छेद 325**– भेदभाव बिना निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने का अधिकार...
- **अनुच्छेद 226**– वयस्क मताधिकार–

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 6.252
Volume 2, Issue 2, February 2022

संदर्भ सूची :

1. डॉ0 नीलिमा कुँवर एवं सीमा कन्नौजिया (1998) कुरूक्षेत्र माह–सितम्बर ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. नीलिमा अग्रवाल–(2005) कुरूक्षेत्र माह–नवम्बर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. सुरेन्द्र कटारिया–(2005) कुरूक्षेत्र माह–नवम्बर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. जितेन्द्र कुमार पाण्डेय (2006)–कुरूक्षेत्र, माह–अगस्त ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. डॉ0 आर.बी.सिंह (2008)– भारत में महिला सशक्तिकरण, श्री जी.पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
6. हस्तक्षेप, पंचायती राज–महिला सशक्तिकरण–2009, अंक 8 सितम्बर, राष्ट्रीय सहारा लखनऊ।
7. प्रतियोगिता दर्पण नवम्बर 2020,पृष्ठ94–95।
8. प्रतियोगिता दर्पणजून–2018 पृष्ठ 92।
9. प्रतियोगिता दर्पण मार्च–2018, पृष्ठ 98।
10. प्रतियोगिता दर्पण नवम्बर–2018, पृष्ठ 95–96।
11. प्रतियोगिता दर्पण फरवरी–2019, पृष्ठ 60।
12. प्रतियोगिता दर्पण सितम्बर–2021, पृष्ठ 73–74।
13. गरीबी उन्मूलन एवं महिला सशक्तिकरण–प्रेमनारायण शर्मा, वाणी विनायक।
14. महिला सशक्तिकरण एवं लिंगभेद–डॉ0 ऋचा राज सक्सेना।
15. महिला सशक्तिकरण एवं समग्र विकास–प्रेमनारायण शर्मा।
16. शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण–वी. विनायक, प्रेमनारायण शर्मा।
17. महिला साक्षरता एवं सशक्तिकरण–डॉ0 मंजु शुक्ला।

❖❖❖